



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 176) पटना, वृहस्पतिवार, 29 फरवरी 2024

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

अधिसूचना
28 फरवरी 2024

सं 02/सा0सु0-वि0यो0-01/2017-290--दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है,

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

(1) यह नियमावली "बिहार दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन), नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में नियम 3(iv) में प्रयुक्त "सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय" को विलोपित कर "दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय" से, 15(घ)(i) में प्रयुक्त "सामाजिक सुरक्षा निदेशालय" को विलोपित कर "दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय" से, 15(घ)(v) में प्रयुक्त "सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय" को विलोपित कर "दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय" से, 22.2 में प्रयुक्त जिला "सामाजिक सुरक्षा कोषांग" को विलोपित कर "दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग" से एवं 36(2)(घ) में प्रयुक्त "सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय" को विलोपित कर "दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त नियमावली में अध्याय-III (लिमिटेड गार्जियनशिप) अंतर्गत नियम-6 में उपनियम 8 के बाद निम्नलिखित नया उपनियम '(9)' जोड़ा जायेगा। -

“6(9) उपनियम (1) के तहत प्राधिकृत प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील हेतु प्रमंडलीय आयुक्त अपीलीय प्राधिकार होंगे।”

4. उक्त नियमावली में अध्याय-IV (शिक्षा) अंतर्गत नियम-7 के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम '7(1)' जोड़ा जायेगा। -

“7(1) राज्य में शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने / अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रक्रिया तथा शुल्क का निर्धारण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।”

5. उक्त नियमावली में अध्याय-V (दिव्यांगजनों के लिए संस्थानों का निबंधन) अंतर्गत नियम-8 उपनियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा। -

“8(1) आवेदन पत्र- दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थानों को राज्य आयुक्त, निःशक्तता का कार्यालय से निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए फार्म-A में आवेदन करना अनिवार्य होगा। संस्थानों के निबंधन हेतु निबंधन शुल्क लिया जायेगा। निबंधन शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।”

6. उक्त नियमावली में अध्याय-IX (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त) अंतर्गत नियम-25 उपनियम (3) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा। -

“25(3) राज्य आयुक्त की नियुक्ति हेतु अनुभव - केन्द्र सरकार / राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकायों में समूह “क” अथवा समकक्ष स्तर के पद का कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव, जिनमें निकट पूर्व में न्यूनतम 3 वर्ष का दिव्यांगता से संबंधित मामलों का कार्यानुभव।

अथवा

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) / किसी राज्य के राज्य आयुक्त, निःशक्तता / दिव्यांगता कार्यालय से निबंधित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष के पद पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव।”

7. बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 की अधिसूचना सं०-1822 दिनांक-19.12.2017 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 176-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>